(14)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी **सिद्धार्थ सिहाग**, आई.ए.एस.

दायर दिनांक 27.3.2014

मु. नं. 42/2014

निर्णय दिनांकः 25.6.2015

1. श्री देवजी पिता कचरा पिता कमजी मीणा
2. श्री लालूराम पिता कचरा पिता कमजी मीणा
3. श्री भूरालाल पिता कचरा पिता कमजी मीणा निवासीयान फुटीतलाई प.ह. फलोज तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्रीमति नानी पुत्री कचरा पिता कमजी मीणा पत्नि रामचन्द्र रोत मीणा निवासी गंधवा फला भाटोडिया ते. सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
5. श्रीमति कान्ता पुत्री कचरा पिता कमजी मीणा पत्नि कचरूलाल परमार निवासी कोलखण्डा फला डूँगरा ते. आसपुर जिला डूँगरपुर (राज.)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री शंकर पिता भीमा पिता कमजी मीणा
2. श्री जीवण पिता भीमा पिता कमजी मीणा
3. श्री भेरवलाल पिता भीमा पिता कमजी मीणा
4. श्री नानूराम पिता भीमा पिता कमजी मीणा
5. श्री कन्हैयालाल पिता भीमा पिता कमजी मीणा
6. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री भीमा पिता कमजी पत्नि धनराज कटारा मीणा
7. श्रीमति मणी पुत्री भीमा पिता कमजी पत्नि कान्तिलाल कटारा मीणा निवासीयान फुटीतलाई प.ह. फलोज तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
8. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूँगरपुर तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत हस्ब दफा 88/90/53/188 रा.टी.एक्ट

एवं 136 ले.रे.एक्ट

1—श्री अल्लाहनूर मंसूरी वकील — वादीगण

2—श्री पुष्कर चौबीसा वकील— प्रतिवादीगण

—: निर्णय :—

मामले का सारांश हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता सहोदर भाई होकर कमजी पिता भाणा की संतान हैं जिसका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैं। कमजी पिता भाणा के दो पुत्र कचरा एवं भीमा ,भीमा की आठ संताने शंकर, जीवण, भेरवलाल, नानूराम, कन्हैयालाल, लक्ष्मी, मणी, रतन पुत्र एवं पुत्री हैं, तथा कचरा के देवजी, लालूराम, भूरालाल, कालूराम, श्रीमतिनानी, श्रीमतिकान्ता, श्रीमतिकाली सात संताने पुत्री एवं पुत्र हैं। कचरा के पुत्र

Scanned by CamScanner

कालूराम कुआरा फौत हो चुका हैं। श्रीमतिकाली की भी मृत्यु हो चुकी हैं इसलिए पक्षकार नही बनाया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरासती खाते की आराजी पितामाह कमजी पिता भाणा की जिसके वादीगण के पिता कचरा एवं प्रतिवादीगण के पिता भीमा संतान होकर सहोदर भाई मोजा फुटीतलाई में स्थित है जिनके खाते की जमीन जमाबंदी संवत 2052 से 2055 के खाता नं. 29 नया वो पुराना 25 होकर कुल आराजी 20, कुल रकबा 26.14 हैं। वादीगण के पितामाह कमजी के स्वर्गवास के समय वादीगण के पिता कम उम्र के होने से एवं प्रतिवादीगण के पिता कर्ता खानदान होने से खाता तनहा प्रतिवादीगण के पिता के नाम से कायम हुआ लेकिन विरासती आराजीयात होने से वादीगण के एवं प्रतिवादीगण के बीच हिस्सा बराबर मोके पर बटवारा किया हुआ होकर अपने अपने हिस्से में काबिज है लेकिन खतोनी में वादीगण के पिता का नाम का अंकन नहीं होने से वादीगण के नाम से मुटेशन नहीं खुला है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता जो कि सहोदर भाई थे का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आपस में बटवारा किया होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज है मोके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है लेकिन वादीगण का नाम विरासती आराजी में अंकित नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से की आराजी में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं और न ही उस पर किसी प्रकार का ऋण ही प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि वादीगण विरासती खाते में अपना नाम प्रतिवादीगण के साथ 1/2 हिस्से में अंकित करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन न्यायालय में तलब किया गया। बाद सुनवाई दिनांक 28.10.2014 को प्रारम्भिक डिकरी जारी की गई। मुताबिक प्रारंभिक डिकरी के तहसीलदार डूँगरपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण के रेकर्ड में वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा अमल दरामद करने के उपरांत बटवारा स्कीम वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति से तैयार कर पेश की है जो शामील पत्रावली है। प्रस्तुत बटवारा स्कीम में पक्षकारान के उपस्थित अभिभाषकगण द्वारा आपत्ति नहीं होना जाहिर किया ।

अतः वाद वादीगण डिकरी किया जाकर पर्चा मौका दिनांक 21/05/2015 को दोनों पक्षों की सहमति से बनाई बटवारा स्कीम को स्वीकार किया जाता है तथा रेकर्ड में निम्नानुसार पृथक पृथक खाते कायम करने का आदेश प्रदान किया जाता है –

मोजा फुटीतलाई प.ह. फलोज के खाता संख्या 66 में कुल किता 20 कुल रकबा 26.14 बीघा का मौके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में निम्नानुसार बंटवारा करने का आदेश दिया जाता है:–

Scanned by CamScanner

(1) प्रतिवादी शंकर, जीवण, भेरवलाल,नानूराम, कन्हैयालाल, श्रीमति लक्ष्मी, श्रीमति मणी पिता भीमा के खाते/हिस्से में हि.ब.

क.सं.	खसरा संख्या	रकबा
1.	66	0–10
2.	72/1	1–13
3.	73	0–07
4.	83	9–10
5	95/1	0–05
6	105/1	0–18
7	112	0–07
8	126/1	0–09
9	126/3	0–08
10	127/1	0–15
11	130	0–05
12	131	0–03
13	132	0–15
14	133	0–14
15	134	0–08
16	179	0–03
17	204	0–02
18	210	0–09
कुल 18		18–01

(2) वादीगण देवजी, लालूराम, भूरालाल, श्रीमति नानी, श्रीमति कान्ता पिता कचरा 1/2 के हिस्से मे हि.ब.

क. सं.	खसरा संख्या	रकबा
1	66/1	0–11
2	72	1–13
3	73/1	0–07
4	93	0–04
5	94	0–08
6	95	1–18
7	105	0–17
8	112/1	0–07
9	126	0–09

Scanned by CamScanner

10	126 / 2	0—08
11	127	0—15
12	187	0—07
13	210 / 1	0—09
योग 13		8—13

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पृथक पृथक खाता दर्ज किया जावे। डिकरी पर्चा जारी हो।

र्णय आज दिनांक 25.6.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

(सिद्धार्थ [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner